

अलीगढ़ पुलिस की दैनिक प्रमुख गिरफ्तारियां एवं गुडवर्क दि0 27/04/2021

- *थाना अतरौली पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 159/2021 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त वीरेश कुमार पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम बहरावद थाना अतरौली,अलीगढ़ को अबन्ती चौराहा से गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना देहलीगेट पुलिस* द्वारा अभियुक्त अब्दुल हसन पुत्र नूर इस्लाम निवासी डबल टंकी के पास झुग्गी झोपडी एडीए कालोनी थाना देहलीगेट,अलीगढ़ को एक पर्चा सट्टा,गत्ता व 270/- रु0 सहित डबल टंकी के बाउन्ड्री के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना पर मु0अ0सं0 329/2021 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत किया गया ।
- *थाना गभाना पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 110/2021 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉस्को एक्ट में अभियुक्त नवेद पुत्र फकरुद्दीन निवासी कटरा थाना गभाना,अलीगढ़ को ग्राम कटरा से गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना गभाना पुलिस* द्वारा अभियुक्त रिकू पुत्र भीमसैन निवासी महारावल थाना गभाना,अलीगढ़ को एक पेन, पर्ची व 1300/- रु0 सहित महारावल तिराहे से सीमेन्ट गोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना पर मु0अ0सं0 104/2021 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत किया गया ।
- *थाना गभाना पुलिस* द्वारा अभियुक्त भीमसेन पुत्र चकत्तर सिंह निवासी महारावल थाना गभाना,अलीगढ़ को एक पेन, पर्ची व 1300/- रु0 सहित महारावल तिराहे से सीमेन्ट गोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना पर मु0अ0सं0 105/2021 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत किया गया ।
- जनपद में *शान्ति भंग* में कार्यवाही - *17 व्यक्ति गिरफ्तार*

प्रेस नोट थाना इगलास, अलीगढ़ दि0-27.04.2021

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना इगलास पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. बिजेन्द्र सिंह पुत्र चन्दन सिंह 2. मुकेश उर्फ छंगा पुत्र बैनीराम 3. अमित पुत्र बिजेन्द्र सिंह 4. जितेन्द्र पुत्र हरि सिंह 5. अमित पुत्र रमेशचन्द्र नि0गण सहारा खुर्द थाना इगलास अलीगढ़ सम्बन्धित मु0अ0सं0 218/2021 धारा 147/148/149/307/269/188/323/504/506/336 भादवि0 व 7 सीएलएएक्ट व 3/4 महामारी अधि0 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. बिजेन्द्र पुत्र चन्दन सिंह नि0 सहारा खुर्द थाना इगलास, अलीगढ़
2. मुकेश उर्फ छंगा पुत्र बैनीराम नि0 सहारा खुर्द थाना इगलास, अलीगढ़
3. अमित पुत्र बिजेन्द्र सिंह नि0 सहारा खुर्द थाना इगलास, अलीगढ़
4. जितेन्द्र पुत्र हरि सिंह नि0 सहारा खुर्द थाना इगलास, अलीगढ़
5. अमित पुत्र रमेशचन्द्र नि0 सहारा खुर्द थाना इगलास, अलीगढ़

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 218/2021 धारा 147/148/149/307/269/188/323/504/506/336 भादवि0 व 7 सीएलएएक्ट व 3/4 महामारी अधि0 थाना इगलास, अलीगढ़

पुलिस टीम का विवरण:-

प्रेस नोट थाना गौण्डा, अलीगढ़ दि0-27.04.2021

थाना गौण्डा पुलिस टीम द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर वोटरो को लुभाने हेतु शराब बाटने जा रहा अभियुक्त किया गिरफ्तार कब्जे से अवैध शराब व मिठाई व अन्य सामग्री बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ महोदय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 को सकुशल व शान्तिपूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु व अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गौण्डा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर शिवम होटल से 200 मीटर दूर खैर रोड पर गौण्डा की तरफ से अभियुक्त नाम रूपेश पुत्र ओमप्रकाश नि0 हिरनौटी थाना गौण्डा जनपद अलीगढ़ को दो गत्ते की पेटियों में ठेका देशी शराब गुड ईवनिंग मार्का 90 पच्चा व शीट पर फोरचून मार्का रिफाइन्ड टीन 15 Kg व पिछली शीट पर 220 थैला जिन पर श्री दाऊजी महाराज स्वीटस सेन्टर गौण्डा लिखा है व 200 प्लेट डिस्पोजल, 250 गिलास प्लास्टिक डिस्पोजल व एक टाट के बोरे में रखे हुए 670 कटोरा सफेद धातु स्टील जो कि तीन एवं चार की पैकिंग में प्लास्टिक को पन्नियों में रखे हैं कटोरों में H.K. Sambhu long Life STAINLESS STEEL का कागज का लेवल चिपका हुआ है सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना पर मु0अ0स0 121/21 धारा 60(1), 72 आ0अधि0 व 171E, 120B IPC का पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता:-

रूपेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी हिरनौटी थाना गौण्डा जनपद अलीगढ़

बरामदगी माल:-

- गाडी का नं0 HR26AY6504
- एक टीन फोरचून मार्का 15 कि0 ग्रा0
- 220 थैला खाली श्री दाऊजी महाराज स्वीटस सेन्टर
- 200 प्लेट डिस्पोजल 250 गिलास डिस्पोजल व 670 कटोरा सफेद धातु स्टील
- 90 पच्चा देशी शराब गुड इवनिंग मार्का

पुलिस टीम का विवरण:-

- 1-म0उ0नि0 श्रीमती शशी देवी थाना गौण्डा, अलीगढ़
- 2- उ0नि0 श्री केशपाल सिंह थाना गौण्डा, अलीगढ़
- 3-उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना गौण्डा, अलीगढ़

4- है0का0 249 हरिभान सिंह थाना गौण्डा,अलीगढ़



प्रेस नोट थाना खैर, अलीगढ़ दि0-27.04.2021

घटना का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ महोदय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 को सकुशल व शान्तिपूर्ण तथा निष्पक्ष कराने हेतु दिये गये आदेश के क्रम में थाना खैर पुलिस द्वारा उक्त के क्रम में कार्यवाही करते हुये अवैध शराब ले जाने वाले 01 अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र हरप्रसाद निवासी नगला वरी मजूपुरा थाना गोण्डा, अलीगढ़ को श्रीकृष्ण भट्टा पला जरारा से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 48 पाउच 8 पीएम शराब बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

वीरेन्द्र पुत्र हरप्रसाद निवासी नगला वरी मजूपुरा थाना गोण्डा, अलीगढ़

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 218/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना खैर, अलीगढ़

बरामदगी का विवरण:-

48 पाउच 8 पीएम शराब

पुलिस टीम का विवरण:-

1.उ0नि0 श्री गोपाल सिंह थाना खैर, अलीगढ़

2.का0 2201 कप्तान सिंह थाना खैर, अलीगढ़



प्रेस नोट थाना क्वार्सी, अलीगढ़ दि०- 27/04/21

**थाना क्वार्सी पुलिस टीम नें मादक पदार्थ तस्कर किया गिरफ्तार कब्जे से
200 ग्राम मादक पदार्थ (डायजापाम) बरामद ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना क्वार्सी पुलिस टीम ने दिनांक 26.04.21 को मुखबिर खाश की सूचना पर अभियुक्त मौ० असलम पुत्र श्री जलालुद्दीन निवासी बिहारी कालोनी, किले का नगला थाना क्वार्सी जिला अलीगढ़ को नाजायज 200 ग्राम डायजापाम सहित जीवनगढ़ का मरघट थाना क्वार्सी से गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना पर मु०अ०सं० 459/21 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

मौ० असलम पुत्र श्री जलालुद्दीन निवासी बिहारी कालोनी, किले का नगला थाना क्वार्सी, अलीगढ़

बरामदगी:-

200 ग्राम डायजापाम नशीला पदार्थ

अपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 459/21 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट

पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० श्री रुपचन्द सिंह थाना क्वार्सी, अलीगढ़

2. का० 1234 नीतेश कुमार थाना क्वार्सी, अलीगढ़

माना क्वार्सी
जनपद अलीगढ़



**समाधान
दिवस**
प्रत्येक माह के
प्रथम व तृतीय
शनिवार



प्रेस नोट थाना मडराक, अलीगढ़ दि0-27.04.2021

थाना मडराक पुलिस टीम द्वारा दो शराब तस्कर किये गिरफ्तार कब्जे से 135 पच्चा देशी शराब बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ महोदय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 को सकुशल व शान्तिपूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु व अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मडराक पुलिस टीम द्वारा मुखविर खास की सूचना पर अभि0 संजय पुत्र लालसिंह निवासी धर्मपुर थाना खैर जनपद अलीगढ़ से 45 पच्चा देशी शराब गुड ईवनिंग अभि0 सुरजीत पुत्र सत्यप्रकाश निवासी जोगिया थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस को 90 पच्चा देशी शराब गुड इवनिंग ब्रांड सहित ग्राम सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 107/2021 धारा 60 आवकारी अधि0 व 188/269 भादवि बनाम संजय उपरोक्त व मु0अ0स0 108/21 धारा 60 आवकारी अधि0 व 188/269 भादवि बनाम सुरजीत उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. संजय पुत्र लालसिंह निवासी धर्मपुर थाना खैर जनपद अलीगढ़
2. सुरजीत पुत्र सत्यप्रकाश निवासी जोगिया थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस

गिरफ्तारी का स्थान:-

पंचायत घर के सामने ग्राम सहारनपुर

पुलिस टीम का विवरण:-

1. म0उ0नि0 श्रीमती अर्चना मलिक थाना मडराक, अलीगढ़
2. हे0का0 संदीप गौतम थाना मडराक, अलीगढ़

3. का0 941 रितेश कुमार थाना मडराक, अलीगढ़



प्रेस नोट थाना गंगीरी, अलीगढ़ दि०-२७.०४.२१

चुनाव हेल्पलाइन नंबर ९५२८०३१३३१ पर प्राप्त शिकायत पर थाना गंगीरी पुलिस ने ५० लोगों के विरुद्ध किया अभियोग पंजीकृत ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ महोदय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-२०२१ को सकुशल व शान्तिपूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु दिये गये आदेश के क्रम में प्रधान प्रत्याशी कन्हैया पुत्र गोकुल सिंह निवासी होलीगेट कस्बा व थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़ अपने ४०-५० समर्थकों के साथ चुनाव आयोग की बिना अनुमति के गाँव जरैठ में नारे बाजी कर रैली निकालने की सूचना प्राप्त हुई जिस पर प्रभारी उ०नि० श्री नरेश कुमार मय सरकारी गाड़ी मय हमराहीयान के मौके पर जाकर उक्त लोगों के विरुद्ध धारा १४४ द०प्र०सं० का उल्लंघन करने व बिना मास्क के कोरोना महामारी फैलाने का कृत्य करने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० ९१/२१ धारा १८८/२६९/१७१ ग भादवि व ३/४ महामारी अधिनियम बनाम कन्हैया पुत्र गोकुल सिंह निवासी होलीगेट कस्बा व थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़ व ४०-५० व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का विवरण –

१. कन्हैया पुत्र गोकुल सिंह निवासी होलीगेट कस्बा व थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़ आदि ०६ नफर
२. ४० से ५० व्यक्ति नाम पता अज्ञात

पुलिस पार्टी का विवरण-

१. उ०नि० श्री नरेश कुमार थाना गंगीरी, अलीगढ़
२. का० ५५८ अवनेश कुमार थाना गंगीरी, अलीगढ़
३. का० ५९२ अरुण कुमार थाना गंगीरी, अलीगढ़

प्रेस नोट थाना चंडौस, अलीगढ़ दि0-27.04.2021

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ महोदय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 को सकुशल व शान्तिपूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु व अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चंडौस पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास सूचना पर ग्राम किनुहा में प्रधान प्रत्याशी श्रीमती कुसुमलता वोटरो को अपने पक्ष में मतदान करने हेतु गाँव में मिठाई बटवा रही है। इस सूचना पर रोहदास पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी किनुहा थाना चण्डौस अलीगढ़ को 10 अदद टीन के कनस्तर रसगुल्ला (केसरबाटी) (वजन प्रति कनस्तर लगभग 20-20 किलो0) व 06 अदद पैकिंग शुदा डिब्बे रसगुल्ला (वजन प्रति पैकेट लगभग 17-17 किलो0) के गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में मु0अ0स0 62/2021 धारा 174E/188 भादवि0 बनाम 1-रोहदास पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी किनुहा थाना चण्डौस अलीगढ़ 2- प्रधान प्रत्याशी श्रीमती कुसुमलता पत्नी अमर सिंह निवासी किनुहा थाना चण्डौस अलीगढ़ के विरुद्ध थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 63/2021 धारा 171E/188 भादवि0 थाना चण्डौस जनपद अलीगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

रोहदास पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी किनुहा थाना चण्डौस अलीगढ़

बरामदगी-

1-10 अदद टीन के कनस्तर रसगुल्ला(केसरबाटी) (वजन प्रति कनस्तर लगभग 20-20 किलो0)

2- 06 अदद पैकिंग शुदा डिब्बे रसगुल्ला (वजन प्रति पैकेट लगभग 17-17 किलो0)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना चण्डौस, अलीगढ़

2-उ0नि0 श्री गजराज सिंह थाना चण्डौस, अलीगढ़

3-का0 1248 राकेश कुमार थाना चण्डौस, अलीगढ़



प्रेस नोट थाना दादों, अलीगढ़ दि0-27.04.2021

चुनाव हेल्पलाइन नंबर 9528031331 पर प्राप्त शिकायत पर थाना दादों पुलिस ने 27 लोगो के विरुद्ध किया अभियोग पंजीकृत ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ महोदय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 को सकुशल व शान्तिपूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से कराने हेतु दिये गये आदेश के क्रम में थाना दादों पुलिस टीम गांव हारूनपुर कलां में पहुँचे तो गांव के मुख्य मार्ग से गांव के अन्दर जाने वाली गली के कोने पर दोपहर गाडी सं0 UP14 CA 8386 स्कोर्पियों जिसमें श्री विजेन्द्र यादव पुत्र दरयाब सिंह निवासी रामपुर चन्दियाना थाना पालीमुकीमपुर जनपद अलीगढ़ प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड सं0 01 अलीगढ़ अपने चार पाँच साथियों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे तथा उनके पीछे गाड़ी संख्या UP81 CN 8738 स्कोर्पियों में पूर्व विधायक श्री वीरेश यादव जिला पंचायत सदस्य श्री विजेन्द्र यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे । इस गाड़ी के पीछे पूर्व विधायक श्री वीरेश यादव की दूसरी गाडी UP81 BY 4444 में भी कुछ लोग बैठे हुए विजेन्द्र यादव का प्रचार कर रहे थे तथा आसपास करीब 20 से 25 आदमियों की भीड़ थी । इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 95/2021 धारा 188/269/270 भादवि व 3 महामारी अधिनियम बनाम 1. पूर्व विधायक श्री वीरेश यादव 2. विजेन्द्र यादव पुत्र दरयाब सिंह नि0 रामपुर चन्दियाना थाना पालीमुकीमपुर जनपद अलीगढ़ व 25 - 25 अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 95/2021 धारा 188/269/270 भादवि व 3 महामारी अधिनियम

अभियुक्तों का विवरण -

1. पूर्व विधायक श्री वीरेश यादव नि0 थाना दादों जनपद अलीगढ़
2. विजेन्द्र यादव पुत्र दरयाब सिंह नि0 रामपुर चन्दियाना थाना पालीमुकीमपुर जनपद अलीगढ़
3. 20 - 25 अज्ञात समर्थक

पुलिस पार्टी का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री अजब सिंह थाना दादों, अलीगढ़
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना दादों, अलीगढ़
3. कां0 02 शैलेन्द्र सिंह थाना दादों, अलीगढ़
4. कां0चालक सुधीर कुमार थाना दादों, अलीगढ़

प्रेस नोट थाना गोधा, अलीगढ़ दि0-27.04.2021

चुनाव हेल्पलाइन नंबर 9528031331 पर प्राप्त शिकायत पर थाना गोधा पुलिस ने 17 लोगो के विरुद्ध किया अभियोग पंजीकृत ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ महोदय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 को सकुशल व शान्तिपूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु व अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गोधा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वर्तमान प्रधान व प्रधान पद के प्रत्याशी 1. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र ठाकुर दास 2. पदमा देवी पत्नि धर्मेन्द्र कुमार निवासीगण ग्राम तालिब नगर थाना गोधा जनपद अलीगढ़ तथा 10/15 व्यक्ति नाम पता अज्ञात समर्थको के साथ चुनाव आयोग की बिना अनुमति के गाँव तालिबनगर में नारेबाजी करने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जाकर उक्त के विरुद्ध धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन करने व बिना मास्क के कोरोना महामारी फैलाने का कृत करने के सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 12/2021 धारा 188/269/270 भादवि व 3/4 महामारी अधिनियम बनाम 1. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र ठाकुर दास 2. पदमा देवी पत्नि धर्मेन्द्र कुमार निवासीगण ग्राम तालिब नगर थाना गोधा जनपद अलीगढ़ तथा 10/15 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त का विवरण:-

1. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र ठाकुर दास
2. पदमा देवी पत्नि धर्मेन्द्र कुमार निवासीगण ग्राम तालिब नगर थाना गोधा जनपद अलीगढ़
3. 10/15 व्यक्ति नाम पता अज्ञात

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 12/2021 धारा 188/269/270 भादवि व 3/4 महामारी अधिनियम थाना गोधा, अलीगढ़

पुलिस पार्टी:-

1. उ0नि0 श्री अनीस अहमद थाना गोधा, अलीगढ़
2. का0 1158 राजवीर सिंह थाना गोधा, अलीगढ़

